

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ./तक./उवसं/2021-22/5100

दिनांक :- 24/8/2022

निमित्त ,

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय:- Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP
For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil -
Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवदेन है कि फोरेस्ट परिवेश के वेब पोर्टल पर यूजर एजेंसी RDSA MINING LLP, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज-किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.) के द्वारा इस वन मण्डल के अधिन रेंज पीपलखूट के वन खण्ड गमरगढ़ पानडिया C (पी.एफ.) में खनन कार्य करने हेतु प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव अनुसार खनन कार्य की लिज 74.2490 हे० वन भूमि प्रभावित होगी। उक्त लिज कर की एल.ओ.आई. राजस्थान सरकार खान (ग्रुप -2) विभाग के पत्र क्रमांक प. 10(6)खान/ग्रुप-2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 से जारी की गई है। तथा निदेशालय, खान एवं भु-विज्ञान विभाग उदयपुर के पत्रांक 996 दिनांक 28.06.2021 से प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी FCA राजस्थान जयपुर को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तथा विभागीय औपचारिकता पूर्ण करने उपरान्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी FCA राजस्थान जयपुर के द्वारा उक्त प्रस्ताव ऑनलाइन/ऑफलाइन इस कार्यालय में भिजावाया गया।

अतः प्रस्ताव के पार्ट II की विभागीय औपचारिकता पूर्ण करने उपरान्त प्रस्ताव ऑनलाइन एवं ऑफलाइन श्रीमान के समक्ष उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

भवदीय

(सुनील कुमार, भा.व.से.)

उप वन संरक्षक,

प्रतापगढ़

क्रमांक:-एफ./तक./उवसं/2021-22/

दिनांक :-

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

01.अतिरिक्त निदेशक खान एवं भु-विज्ञान विभाग (पर्यावरण एवं विकास), उदयपुर को दि जाकर लेख है

कि भारत सरकार कि अनुमति मिलने से पूर्व किसी भी प्रकार के गैर वानिकि कार्य करने कि अनुमति युजर एजेंसी को ना देवे। तथा भारत सरकार द्वारा किसी कारण वश उक्त प्रस्ताव कि स्विकृति प्रदान

नहीं कि जाती है तो वन विभाग राजस्थान सरकार का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं रहेगा।

02. सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़/वांसी।

03. क्षेत्रीय वन अधिकारी पीपलखुट को दी जाकर लेख है कि सक्षम अनुमति मिलने से पूर्व वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न होने पाये।

4. मुख्य कार्याकारी अधिकारी RDSA MINING LLP, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज-किशनगढ़, जिला-अजमेर (राज.) को दी जाकर लेख है कि भारत सरकार कि अनुमति मिलने से पूर्व किसी भी प्रकार के गैर वानिकी कार्य ना करे। तथा भारत सरकार द्वारा किसी कारण वश उक्त प्रस्ताव कि रिवकृति प्रदान नहीं कि जाती है तो वन विभाग राजस्थान सरकार का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं रहेगा। तथा आप द्वारा खनन लिज निलामी में जो भी वित्तीय खर्च किया गया है। उसमें हानी होती है तो वन विभाग राजस्थान सरकार उत्तरदायी नहीं रहेगा।

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़